# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रामपुरा डाबडी जिला जयपुर

पीठासीन अधिकारी – श्री अशोक कुमार (आर.ए.एस.)

जी.सी.एम.एस. नम्बरः– 2024 / 330

वाद पत्र संख्या 276 / 2024

रामेश्वर सिंह पुत्र स्व0 श्री पेप सिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम खोराश्यामदास तहसील आमेर जिला जयपुर।

– – – वादी

बनाम

1. रतन सिंह
2. बजरंग सिंह
3. मोती सिंह पुत्रान रामेश्वर सिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम खोराश्यामदास तहसील आमेर जिला जयपुर।
4. श्रीमान थानाधिकारी पुलिस थाना हरमाडा तहसील आमेर जिला जयपुर।
5. श्रीमान् प्रभारी अधिकारी पुलिस चौकी दौलतपुरा तहसील आमेर जिला जयपुर।

– – – प्रतिवादीगण

**वाद पत्र बाबत् हुक्म ईम्तनाई दवामी अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955**

**–:: निर्णय ::–**

दिनांकः 19/05/2025

वादी की ओर से एक वाद बाबत् **स्थाई निषेधाज्ञा** इस आशय का प्रस्तुत किया गया है कि राजस्व वाके ग्राम खोराश्यामदास, पटवार हल्का खोराश्यामदास, भू–अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र बगवाडा तहसील आमेर जिला जयपुर के जमाबन्दी सम्वत 2064 से 2067 नया खाता संख्या 283 तथा पुराना खाता संख्या 282 में स्थित मुतदाविया आराजीया खसरा नम्बर 1569 रकबा 0.15 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1570 रकबा 0.23 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1571 रकबा 0.08 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1572 रकबा 0.14 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1573 रकबा 0.11 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1574 / 1729 रकबा 0.37 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1576 रकबा 0.41 हैक्टेयर कुल किता 7 कुल रकबा 1.49 हैक्टेयर में वादी का हिस्सा 1 / 2 आराजी वादी के हक हकूक की स्वंय अराजीयात है व दूसरा खाता जमाबन्दी सम्वत 2064 से 2067 संख्या नया 282 में वर्णित भूमि खसरा नम्बर 1570 / 1728 रकबा 0.31 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1575 रकबा 0.03 हैक्टेयर गै० मु० कुआ, खसरा नम्बर 1576 / 1727 रकबा 0.36 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1577 रकबा 0.38 हैक्टेयर कुल किता 4 कुल रकबा 1.08 हैक्टेयर में से वादी 1 / 2 का काबिज काश्तकार व खातेदार है। वादी व उसका भाई का पुत्र मानसिंह ने भावी मौखिक तकासमा कर अपने–अपने हिस्से पर काबिज चले आ रहे है जिसमें खाता संख्या 283 में से खसरा नम्बर 1569, 1570, 1574 / 1727, 1571 व खाता संख्या 282 दूसरा में 1576 / 1727, 1570 / 1728 पर वादी का कब्जाकाश्त करता आ रहा है।

प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 वादी के पुत्र है जो आये दिन दारू पीकर वादी के साथ झगडा प्रसाद व वादी की पुत्री व अन्य रिश्तेदारो के साथ गाजी गलौच करते रहते है जो निथले बिना काम काज के लडाई झगडा करते है वादी ने प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 के विवाह में करीब 15 लाख रूपये का खर्चा आया जिसमें से वादी ने 5 लाख रूप्ये स्वयं के पास से खुर्च किये तथा 10 लाख रूप्ये का कर्जा वादी पर चला आ रहा है जिस कज्जा को चुकाने में प्रतिवादी एक भी रूपया नही दिया व वादी के कब्जेकाश्त की भूमि से वादी को लाठी के बल पर बेदखल करने पर आमदा है। जवकि वादी अपनी काश्त से पूर्व प्रतिवादी के तीनो पुत्रो के विवाह का कर्जा व अपनी पुत्रियो व अपनी बहनो के धार्मिक कार्य आदि में खर्चा व अपने परिवार का लालन पालन करता है। प्रतिवादी संख्या 1

उपखण्ड अधिकारी

लगायत 3 दारू पीने के आधिन है जो गाँव के अनेक आदमी से पैसे ले रखे है जिन्हें जर्बरन वादी के कब्जेकाश्त की भूमि पर जर्बरन कब्जा कराने के लिए आये दिन झगडा करते है। दिनांक 1.7.2020 को वादी अपनी कब्जेकाश्त भूमि की जोत निकाल रहा था तक प्रतिवादी संख्या 1 अन्य दीगर व्यक्ति को लेकर वादी के कब्जेकाश्त की भूमि पर ट्रेक्टर से जोत निकालने के लिए मना करने लगा तो प्रतिवादी संख्या 1 ने वादी के साथ धक्का मुक्की कर भूमि पर गिरा दिया जिस पर पडौसी खातेदारो ने वादी को प्रतिवादी संख्या 1 से बचाया लेकिन उसी दिन रात को वादी अपने निवास के दरवाजा बन्द कर रहा था तब प्रतिवादी संख्या 1 व उसके दो पुत्र कृष्ण व दीपक सिंह व उसकी पत्नि मीरा कँवर ने हाथे में सरिये व लाठी लेकर अचानक वादी के साथ मारपीट करते हुए वादी का सिर फौड दिया जिसके विरूद्ध वादी द्वारा पुलिस थाना हरमाडा में प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 287 दर्ज कराई जो विचाराधीन है।

प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 दारू पीने के आधिन है जो दारू के लिए दीगर व्यक्तियो को बादी के कब्जेकाश्त की भूमि पर जर्बरन कब्जा कराने पर आमदा है जिसके जिए प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 एक राय होकर दीगर व्यक्ति को साथ लेकर दिनांक 20.6.2021 को वादी के कब्जेकाश्त कि भूमि में प्रवेश कर दीगर व्यक्ति को कब्जा कराने के लिए बनात खोदने लगे जिसका वादी ने विरोध किया तो प्रतिवादीगण वादी जो करीब 70 साल का बुर्जाग हे के साथ गाली गलौच करते हुए मारपीट करने लगे जिस पर वादी ने पुलिस थाना हरमाडा पर प्रतिवादीगण द्वारा जर्बरन कब्जा करने कि सूचना दी जिस पर पुलिस वादी के कब्जेकाश्त की भूमि पर आयी लेकिन उसे देखकर प्रतिवादीगण अन्य दीगर व्यक्ति पुलिस को देखकर गेती फावडी व परात लेकर भाग गये जिस पर मैने पुलिस से प्रतिवादी संख्या 1 लगायत के विरुद्ध कार्यावाही करने के लिए कहा तो पुलिस द्वारा कहा गया कि बाबा तुम अपने कब्जेकाश्त कि भूमि पर स्टे्र अदालत से लाओ वरना ये लोग तुम्हारे साथ अनहोनी कर तुम्हे भूमि से बेदखल कर देगे। हम विना स्टे के हम इन्हे नही रोक सकते। इस कारण वादी को अपने कब्जेकाश्त व खातेदारी भूमि की सुरक्षा के लिए प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा पावन्द कराये कि वादी कानूनन अपने कब्जे काश्तशुदा आराजीयात का मालिक व स्वामी है, और राजस्व रिकार्ड आज भी वादी के नाम बदस्तुर तकमील है। इसलिये वादी का प्रथम दृष्ट्या प्रकरण होने के कारण प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 को जरिये हुक्म इम्तनाई दवामी से प्रतिबंधित करावें कि मुतदाविया पर कोई कब्जा नहीं करें, न ही वादी को बेदखल करे, न ही दीगर व्यक्ति को कब्जा कराये न ही निर्माण कार्य करें, वादी के कब्जेकाश्त में किसी प्रकार कि दखल अन्दाजी, बाधा रूकावट आदि न तो स्वयं करे न ही अन्य से करावे इस बाबत् न्यायालय से उनको पावन्द कराने का वादी इस्तदुआ प्रार्थनीय है।

दिनांक 28.6.2021 को वादी अपने कब्जेशुदा खातेदारी भूमि में खडी टमाटर की फसल को पानी दे रहा था तब प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 एक राय होकर वादी की खडी फसल में आकर लाठी से फसल को खुद्रबुर्द करने लगे जिसका वादी द्वारा विरोध करने पर प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 ने कहा तुम या तो इस भूमि को खाली कर दो जिससे हमने दूसरे व्यक्तियो से उधार दारू के लिए पेसे लिए है उनको कब्जा दे दे वरना तुम्हारे हाथ पेर तोडकर कब्जा लेना हम जानते है ऐसी ऐलानिया धमकी प्रतिवादीगण वादी को देकर गये। इस कारण वादी को उक्त वाद माननीय न्यायालय के समक्ष पेश करना लाजमी हुआ।

अतः वाद पत्र मय शपथ पत्र पेश कर निवेदन है कि वादी का वाद बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादी स्वीकार फरमाया जाकर निम्न प्रकार डिकी किया जावें :–

स्थाई निषेधाज्ञा की डिकी बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण इस आशय की जारी फरमाई जावें कि, वाद पत्र की मद नंबर 1 में उल्लेखित ग्राम खोराश्यामदास, पटवार हज्का खोराश्यामदास भू–अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र बगवाडा, तहसील आमेर, जिला जयपुर में स्थित जमावन्दी सम्वत 2064 से 2067 नया खाता संख्या 283 तथा पुराना खाता संख्या 282 में स्थित मुतदाविया आराजीया खसरा नम्बर 1569 रकबा 0.15 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1570 रकबा 0.23 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1571 रकबा 0.08 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1572 रकबा 0.14 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1573 रकबा 0.11 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1574 / 1729 रकबा 0.

उपखण्ड अधिकारी
जयपुर

37 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1576 रकबा 0.41 हैक्टेयर कुल किता 7 कुल रकबा 1.49 हैक्टेयर में वादी का हिस्सा 1/2 व दूसरा खाता जमाबन्दी सम्वत 2064 से 2067 संख्या नया 282 में वर्णित भूमि खसरा नम्बर 1570/1728 रकबा 0.31 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1575 रकबा 0.03 हैक्टेयर गै०मु० कुआ, खसरा नम्बर 1576/1727 रकबा 0.36 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1577 रकबा 0.38 हैक्टेयर कुल किता 4 कुल रकवा 1.08 हैक्टेयर में से वादी का हिस्सा 1/2 भूमि में प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 को स्थाई निषेधाज्ञा से प्रतिबंधित करवाये कि उक्त विवादित आराजीयात में जबरन कब्जा नहीं करें, ना ही वादी को बेदखल करने की कोई कार्यवाही स्वयं करें न ही किसी अन्य से करावे तथा न ही किसी दीगर व्यक्ति को कब्जा कराये, व वादी के कब्जेकाश्त में किसी प्रकार कि दखलअंदाजी, हस्तक्षेप, रूकावट आदि न तो स्वयं करे ना ही अन्य से करावे वादी को शान्तिपूर्वक काश्त करने के आदेश प्रदान करें।

पत्रावली दिनांक 14.07.2021 को न्यायालय उपखण्ड अधिकारी आमेर जिला जयपुर में पेश हुई, दावा दर्ज रजिस्टर किया गया जिसमें वाद संख्या 60/2021 दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण की तामील हेतु दिनांक 15.07.2021 को नोटिस जारी हुये। जिसके पश्चात प्रतिवादी सं0 2 की ओर से अधिवक्ता सुरेश कुमार चाहर ने वकालतनामा पेश किया। प्रतिवादी सं0 1 ता 4 की ओर जवाब दावा मय प्रतिदावा दिनांक 22.03.2010 को पेश किया। जिसके पश्चात् प्रतिवादी सं0 2 की ओर से दिनांक 10.08.2022 को जवाब दावा पेश किया गया। प्रतिवादी सं0 1 व 3 के नोटिस तामिल होने के बावजूद होने उपस्थित नहीं होने पर उनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लायी गयी। दिनांक 19.02.2025 को पत्रावली न्यायालय उपखण्ड अधिकारी आमेर जिला जयपुर से पत्रावली उक्त न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रामपुरा डाबडी जयपुर में हस्तान्तरित हुई, जिसमें प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर वाद संख्या 276/2024 पर दर्ज किया गया। इसके पश्चात् पत्रावली वास्ते तनकीयात नियत की गई दिनांक 30.09.2024 को तनकीयात कायम की गई।

1. आया वादी वाद पत्र के मद सं0 1 में वर्णित भूमि के 1/2 भाग का खातेदार काश्तकार है व प्रतिवादी सं0 1 लगा0 3 को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद करवाने का अधिकारी है।

   — — — जिम्मे वादी

2. आया वादी वाद पत्र की मद सं0 2 में वर्णित भूमि का तन्हा खातेदार काश्तकार है व प्रतिवादीगण 1 से 3 को शाश्वत व्यादेश से पाबंद करवाने का अधिकारी है।

   — — — जिम्मे वादी

3. आया वादग्रस्त भूमि सम्पूर्ण जो वाद पत्र के मद सं0 1 व 2 में वर्णित है वह भूमि वादी की स्वअर्जित भूमि है व वादी अन्य सहखातेदारान को बिना पक्षकार बनाये अपने पुत्रों को पाबंद करवाने का अधिकारी है।

   — — — जिम्मे वादी

4. आया वादी द्वारा वाद प्रतिवादी सं0 2 के विरूद्ध वाद कारण के अभाव में खारिज किये जाने योग्य है।

   — — — प्रतिवादी संख्या 2

5. आया भूमि विवादग्रस्त के संबंध में वादी व सहखातेदारान नैना देवी के मध्य तकासमा व स्थाई निषेधाज्ञा का दावा राजस्व मण्डल में विचाराधीन होने से यह वाद खारिज किये जाने योग्य है।

   — — — प्रतिवादी संख्या 2

इसके पश्चात वादी की ओर से साक्ष्यवादी पेश किये गये। दिनांक 06.05.2025 को वादी अधिवक्ता की उभयपक्ष अधिवक्ता की बहस सुनी गयी। उक्त वाद को साबित करने का भार वादी पर है। दौराने बहस वादी के अधिवक्ता ने कथन कर वाद पत्र में वर्णित तथ्यो को दोहराया है। उपरोक्त विवेचन के अनुसार वादी का वाद डिक्री किये जाने योग्य है ।

हमने पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों, तथ्यों, का अवलोकन व बहस का मनन किया। अतः वादी का वाद बाबत स्थायी निषेधाज्ञा का डिक्री किया जाता है, प्रतिवादीगण

उपखण्ड अधिकारी

को स्थायी निषेधाज्ञा से पावन्द किया जाता है कि वे वादी की जमाबन्दी सम्वत 2064 से 2067 नया खाता संख्या 283 तथा पुराना खाता संख्या 282 में स्थित मुतदाविया आराजीया खसरा नम्बर 1569 रकबा 0.15 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1570 रकबा 0.23 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1571 रकबा 0.08 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1572 रकबा 0.14 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1573 रकबा 0.11 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1574/1729 रकबा 0.37 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1576 रकबा 0.41 हैक्टेयर कुल किता 7 कुल रकबा 1.49 हैक्टेयर में वादी का हिस्सा 1/2 व दूसरा खाता जमाबन्दी सम्वत 2064 से 2067 संख्या नया 282 में वर्णित भूमि खसरा नम्बर 1570/1728 रकबा 0.31 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1575 रकबा 0.03 हैक्टेयर गै० मु० कुआ, खसरा नम्बर 1576/1727 रकबा 0.36 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1577 रकबा 0.38 हैक्टेयर कुल किता 4 कुल रकबा 1.08 हैक्टेयर ग्राम खोराश्यामदास, पटवार हल्का खोराश्यामदास भू–अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र बगवाडा, तहसील आमेर, जिला जयपुर स्थित में जबरन कब्जा नहीं करें, ना ही वादी को वेदखल करने की कोई कार्यवाही स्वयं करें न ही किसी अन्य से करावे तथा न ही किसी दीगर व्यक्ति को कब्जा कराये, व वादी के कब्जेकाश्त में किसी प्रकार कि दखलअंदाजी, हस्तक्षेप, रूकावट आदि न तो स्वयं करे ना ही अन्य से करावे वादी को शान्तिपूर्वक काश्त करने दिया जावें। तदानुसार डिक्री पर्चा जारी हो।

आज दिनांक 19/05/2025 को यह निर्णय खुले न्यायालय में लिखाया सुनाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो।

अशोक कुमार (आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी रामपुरा डाबडी,
जयपुर

उपखण्ड अधिकारी
रामपुराडाबडी (जिला– जयपुर)

# अंतिम डिक्री मुकद्दमा इब्तदाई

(बी. 20 रूल्स 6 व 7 जाप्ता दीवानी)

अज अदालत अशोक कुमार आर.ए.एस.उपखण्ड अधिकारी रामपुरा डाबडी जिला जयपुर

सी.सी.एम.एस. नम्बरः– 2024/330
वाद पत्र संख्या 276/2024

रामेश्वर सिंह पुत्र स्व0 श्री पेप सिंह जाति राजपूत निवारी ग्राम खोराश्यामदास तहसील आमेर जिला जयपुर।

– – – वादी

बनाम

1. रतन सिंह
2. बजरंग सिंह
3. मोती सिंह पुत्रान रामेश्वर सिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम खोराश्यामदास तहसील आमेर जिला जयपुर।
4. श्रीमान थानाधिकारी पुलिस थाना हरमाडा तहसील आमेर जिला जयपुर।
5. श्रीमान् प्रभारी अधिकारी पुलिस चौकी दौलतपुरा तहसील आमेर जिला जयपुर।

– – – प्रतिवादीगण

**वाद पत्र बाबत् हुक्म ईम्तनाई दवामी अन्तर्गत धारा 188**
**राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955**

–:: निर्णय ::–

दिनांकः 19/05/2025

पत्रावली पेश हुई। वादी का वाद बाबत स्थाई निषेधाज्ञा का डिक्री किया जाकर प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वे वादी की जमाबन्दी सम्वत 2064 से 2067 नया खाता संख्या 283 तथा पुराना खाता संख्या 282 में स्थित मुतदाविया आराजीया खसरा नम्बर 1569 रकबा 0.15 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1570 रकबा 0.23 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1571 रकबा 0.08 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1572 रकबा 0.14 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1573 रकबा 0.11 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1574/1729 रकबा 0.37 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1576 रकबा 0.41 हैक्टेयर कुल किता 7 कुल रकबा 1.49 हैक्टेयर में वादी का हिस्सा 1/2 व दूसरा खाता जमाबन्दी सम्वत 2064 से 2067 संख्या नया 282 में वर्णित भूमि खसरा नम्बर 1570/1728 रकबा 0.31 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1575 रकबा 0.03 हैक्टेयर गै० मु० कुआ, खसरा नम्बर 1576/1727 रकबा 0.36 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1577 रकबा 0.38 हैक्टेयर कुल किता 4 कुल रकबा 1.08 हैक्टेयर ग्राम खोराश्यामदास, पटवार हल्का खोराश्यामदास भू–अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र बगवाडा, तहसील आमेर, जिला जयपुर स्थित में जबरन कब्जा नहीं करें, ना ही वादी को बेदखल करने की कोई कार्यवाही स्वयं करें न ही किसी अन्य से करावे तथा न ही किसी दीगर व्यक्ति को कब्जा कराये, व वादी के कब्जेकाश्त में किसी प्रकार कि दखलअंदाजी, हस्तक्षेप, रूकावट आदि न तो स्वयं करे ना ही अन्य से करावे वादी को शान्तिपूर्वक काश्त करने दिया जावें।

निर्णय आज दिनांक ....19/05/2025........को मेरे द्वारा लिखावाया जाकर सरे न्यायालय सुनाया गया।

मोहर

अशोक कुमार (आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी रामपुरा डाबडी,
जयपुर

उपखण्ड अधिकारी
रामपुरा डाबडी जिला- जयपुर

| मुद्दई | रुपये | पैसे | मुद्दायलह | रुपये | पैसे |
|---|---|---|---|---|---|
| स्टाम्प अर्जी दावा | 2 | – | स्टाम्प अर्जी दावा | 2 | – |
| स्टाम्प वकालत नामा | 2 | – | स्टाम्प वकालत नामा | 2 | – |
| स्टाम्प वजह सबूत | – | – | मेहनताना वकील | – | – |
| मेहनताना वकील | – | – | खर्चा गवाहान | – | – |
| खर्चा गवाहान | – | – | फीस कमिश्नर | – | – |
| फीस कमिश्नर | – | – | बाबत इजराय हुक्मनामा | – | – |
| बाबत इजराय हुक्मनामा | – | – | मुतफरिक | – | – |
| मुतफरिक | – | – | | – | – |
| मीजान | 4 | – | मीजान | 4 | – |

मोहर

अशोक कुमार (आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी रामपुरा डाबडी,
जयपुर